

उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

राजीव पुत्र रामरतन जाति तेली, आयु 67 साल निवासी किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज ।

-प्रार्थी

बनाम

• मदन लाल पुत्र रामरतन जाति तेली निवासी किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान व अन्य
-अप्रार्थीगण।




किस्म मुकदमा- धारा 212 राज.का. अधि. 1955

दर्ज क्रमांक 85/2024

ऑनलाइन नंबर 2024 /

वकील प्रार्थी :- विजेन्द्र सिंह

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5/8/24	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री विजेन्द्र सिंह ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.09.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अराई </p>	
20/9/24	<p>पत्रावली पेश की वकील प्रार्थी उपर अग्रिम 01 से 03 के अग्रिम तामील व अग्रिम 04 से 10 के तामील मुद्दा (मान पाए जो आ क्रि। अग्रिमों को को 2/3/24 न सी पत्रावली 21/11/2024 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर) </p>	
23/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पेशकारण उप.। तलवी कार्य तलवी पत्रिका 143 दिनांक 21/11/24 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अराई </p>	

प्रकरण संख्या / उनवान बनाम

21/11/15 पत्रावली पेश हुई आज... 21.11.15 को
की ओर से कार्य रथगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.11.15 को
पेश हो।

21/11/15 पत्रावली पेश हुई आज... 21.11.15 को
की ओर से कार्य रथगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.11.15 को
पेश हो।

16/11/15 पत्रावली पेश हुई आज... 16.11.15 को
की ओर से कार्य रथगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16.11.15 को
पेश हो।

4/11/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
P.O. सहाय्य चुनाव कार्य/सहाय्य/द्वारे/अधकाश
पर कार्य। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 4.11.15 को पेश हो।

~~21/11/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
P.O. सहाय्य चुनाव कार्य/सहाय्य/द्वारे/अधकाश
पर कार्य। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 21.11.15 को पेश हो।~~

12/11/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
पत्रावली दिनांक 12.11.15 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांड

31/10/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
पत्रावली दिनांक 31.10.15 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
प्राथना पत्र
प्राथना पत्र अंतर्गत धारा 212(1) के
किया गया। प्राथना पत्र पर जांच रिपोर्ट इस प्रकार
विवरण
2. क्या प्राथना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है ?
3. क्या प्राथना पत्र के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत है ?
4. क्या उचित संख्या में प्राथना पत्र प्रस्तुत है ?
5. क्या प्राथना पत्र के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत है ?